(भाग 1)

न्यायालय- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना, जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :: **राहुल, आर.जे.एस.**

निर्णय दिनांकः :: 09-07-2026

प्रकरण नियमित दांडिक :: 405/2020

सीआईएस नं. :: 405/2020

सीएनआर नं. :: RJJH180005852020

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. :: 286/2019 पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनू

धारा :: 448, 427, 504/34 भारतीय दंड संहिता

परिवादी	सुमेरसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी हसांस बुहाना, जिला झुन्झुनू।
प्रस्तुत द्वारा	राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	01. कृष्ण कुमार पुत्र हरदेवाराम, 02. रवि कुमार पुत्र कृष्ण कुमार, 03. भरपाई देवी पत्नी कृष्ण कुमार, निवासीगण हसांस, पीएस बुहाना, जिला झुन्झुनू।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री राजेश कुमार।

(ख)

घटना की दिनांक	22.11.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	29.11.2019
आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	29.07.2020
प्रसंज्ञान की दिनांक	29.07.2020
आरोप विरचना की दिनांक	29.07.2020
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	20.09.2023
निर्णय सुरक्षित की दिनांक	09.07.2026
निर्णय दिनांक	09.07.2026
सजा आदेश यदि हो तो, दिनांक	लागू नहीं।

(ग) अभियुक्त की सूचना

क्र सं	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहायी की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दंप्रसं के तहत समायोजन वास्ते निरूद्ध समयावधि
1	कृष्ण कुमार	-	-	448, 427, 504/34 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
2	रवि कुमार	-	-	448, 427, 504/34 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
3	भरपाई देवी	-	-	448, 427, 504/34 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं

भाग 2
अभियोजन /अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची
कः अभियोजन गवाह

क्रम सं	नाम	साक्ष्य प्रकृति
1	पी.डब्ल्यू–01 दौलतराम	अनुसंधान अधिकारी।
2	पी.डब्ल्यू–02 सुमेर सिंह	परिवादी।
3	पी.डब्ल्यू–03 मेवा देवी	चश्मदीद गवाह।
4	पी.डब्ल्यू–04 ओमकलां	अन्य गवाह।
5	पी.डब्ल्यू–05 धर्मवीर	चश्मदीद गवाह।

अभियोजन/अभियुक्त/ न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची
कः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र सं	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	तहरीरी रिपोर्ट।
2	प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर।
3	प्रदर्श पी–3	घटनास्थल का नक्शामौका।
4	प्रदर्श पी–4	पुलिस बयान ओमकलां।
5	प्रदर्श पी–4 ए, 5 व 6	घटनास्थल के फोटोग्राफ्स।

नोटः– पत्रावली में सहवन से घटनास्थल के एक फोटोग्राफ पर प्रदर्श पी–4 अंकित हो गया है जिसे सुविधा की दृष्टि से प्रदर्श पी–4 ए के रूप में पढ़ा जा रहा है।

आर्टिकल्स		
–	–	–

खः अभियुक्त दस्तावेज सूची

क्र सं	प्रदर्श	विवरण
–	–	–

–– <u>निर्णय</u> –– **दिनांक–09.07.2026**

01– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्यः–

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम हसांस स्थित मकान में वह 1960 के दशक के बने हुये हैं। उक्त मकान उन्होंने स्वयं की भूमि छोड़कर बनाये थे एवं साथ में उन्होंने मकानों के पीछे 4 फीट पुस्ती बनायी हुई थी, जिसको कृष्ण कुमार, भरपाई एवं रवि कुमार ने जबरन तोड़ दी एवं मना करने पर गाली–गलोच की एवं उसे जान से मारने की धमकी दी एवं मकानों को जबरन तोड़कर गिरा देने की धमकी दी। .....इत्यादि।

2– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनू में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 286/2019 धारा 447, 506, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता में कायम कर बाद

आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 448, 427, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

02– आरोपः–

3– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 448, 427, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए जिसे सुन–समझकर अभियुक्तगण ने जुर्म से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

03- साक्ष्यः-

4– साक्ष्य अभियोजन में कुल 05 गवाहान को परीक्षित करवाया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 07 दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया।

04- अभियुक्त के कथनः-

5– अभियुक्तगण के बयान मुलजिम धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान की साक्ष्य को गलत बतलाया तथा स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बतलाया। साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करनी चाही।

05- बहस :-

6– बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अधिवक्ता परिवादी ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का हवाला देते हुए कथन किया कि अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित धाराओं के अपराधों को प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर सजा से दंडित किया जावे।

7– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस अंतिम के दौरान अभियोजन पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि पत्रावली पर परीक्षित गवाहान ने अभियुक्तगण के विरुद्ध जो साक्ष्य दी है उससे अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

07- विचारणीय बिन्दूः-

8– उभय पक्षों के तर्कों का मनन किया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया। अब न्यायालय को यह देखना है कि–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.11.2019 को किसी समय परिवादी सुमेरसिंह के कब्जेशुदा मकान में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया तथा

मकान को तोड़कर रिष्टि कारित की व उन्हें अपमानित किया, ऐसे प्रकोपन से लोकशांति भंग हुई?

यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

09– **उपरोक्त विचारणीय बिन्दू** के संबंध में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन किया जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर कुल 05 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–1 दौलतराम** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 29.11.2019 को वह पुलिस थाना बुहाना में हैड़ कानि0 पद पर तैनात था। उसी रोज रामकुमार एचसी आई0सी0 थाना बुहाना ने अभियोग संख्या 286/19 धारा 447, 427, 504/34 भा0द0सं0 में मुकदमा पंजीबद्ध कर अनुसंधान उसे एचसी के जिम्मे किया था। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है तथा चॉक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है। दौराने तफतीश उसने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शामौका मय हालातमौका मौके पर मूर्तिब किया था। नक्शामौका प्रदर्श पी–3 है। दौराने अनुसंधान उसने बयान गवाह धर्मवीर, सज्ञनलाल, सुमेर, श्रीमती ओमकला, श्रीमती मेवा देवी के धारा 161 सीआरपीसी के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किये थे। मुस्तगीस सुमेर सिंह ने घटनास्थल के फोटोग्राफस उसके समक्ष पेश किये थे जो प्रदर्श पी–4ए लगायत प्रदर्श पी–6 है जो शामिल पत्रावली है। उसने अपनी सम्पूर्ण तफ्तीश से आरोपी कृष्ण कुमार, रवि कुमार व भरपाई के विरूद्ध जूर्म धारा 448,427,504/34 भा0द0स0 का अपराध प्रमाणित मान पत्रावली एसएचओ के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिन्होंने न्यायालय में चालान पेश किया था।

10– दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि इस प्रकरण के क्रॉस केस में सुमेर सिंह व मेवा देवी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 285/19 दर्ज की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 336, 504/34 में चार्जशीट पेश की थी, इस पत्रावली में जमीन के बारे में किसी पटवारी के बयान नहीं हुए थे और ना ही कोई जमाबंदी उसके द्वारा शामिल पत्रावली की गई, वह मौके पर दिनांक 30.11.2019 को गया था, उसी दिनांक को दोनों प्रकरणों का नक्शामौका बनाया था, घटनास्थल के उत्तर में सुमेरसिंह का मकान है।

11– **गवाह पी.डब्ल्यू–2 सुमेर सिंह** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसके पुराने मकान हंसास गांव में हैं। वह पिछले 30 साल से बुहाना में रहता है। दिनांक 22.01.2021 को समय करीब सुबह साढे आठ बजे की बात है बुहाना में उसके पड़ोसी ओमकला का फोन आया की आपके हंसास गांव के मकानों को कृष्ण कुमार, भरपाई, रवी कुमार आप के मकान को तोड़ रहे हैं। वे मोटरसाईकिल लेकर हंसास पहुंचे। जब उन्होंने वहां जाकर उक्त लोगों को मकान तोड़ने से मना किया तो वे नही रूके और उनसे गाली–गलौच करने लगे व जान से मारनी की धमकी देने लगे। इस पर उसने बुहाना थाने में दिनांक 22.11.2021 को ही रिपोर्ट दे

दी थी, लेकिन दिनांक 24.11.2019 को उसके बड़े भाई के लड़की की शादी थी। जब वह बुहाना रिपोर्ट देने गया तो पीछे से उक्त लोगों ने सीडी लगाकर उसके मकानों के उपर चढ़कर छत को तोड़कर गिरा दिया। आरोपीगण एक ही परिवार के हैं। उनका बंटवारा सन 1988 मे हो चुका था। और उसके मकान उससे पहले के बने हुये हैं।

12– दौराने जिरह गवाह ने मुख्यतः यह कथन किए हैं कि उसने थाने में दो बार रिपोर्ट दी थी, जो दिनांक 22.11.2019 को व दूसरी 29.11.2019 को दी थी, इस घटना में उसे कोई चोट नहीं आई, दिनांक 22.11.2019 के बाद दीवार तोड़ने की कोई घटना नहीं हुई थी, नक्शामौका प्रदर्श पी–3 में दीवार व छत तोड़ने की बात नहीं लिखी थी, नक्शा बनाने के अलावा पुलिस ने ये नहीं लिखा कि क्या नुकसान किस–किस स्थान पर किया गया है, प्रदर्श पी–4ए लगायत 6 में जो जगह है उसके बाबत सिविल दावा लंबित है।

13– **गवाह पी.डब्ल्यू–3 मेवा देवी** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 22.11.2019 को सुबह आठ साढे आठ बजे की बात है। वे करीब तीस साल से बुहाना में रह रहे है। उनके पुराने मकान हसास गांव में है उसकी देवरानी ओमकला का फोन पर बताया कि आपके पुराने मकानों की पुश्ती भरपाई, कृष्ण और रवि तोड़ रहे हैं। वे बुहाना से हसास गांव में अपने पुराने मकानों पर जाकर उक्त लोगों का विरोध किया तो उन्होनें उनसे गाली–गलोच की। शामिल पत्रावली फोटोग्राफ्स 04ए लगायत 06 देखकर गवाह ने बताया कि ये उनके मकानों के पीछे वाले हिस्से की फोटों जिसमें रवि एवं भरपाई दिखाई दे रहे हैं।

14– दौराने जिरह गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया कि वह घटना वाले दिन बुहाना में थी और उसे फोन करके बुलाया गया था, दोनों पक्षों की लड़ाई में किसी को कोई चोट नहीं लगी।

15– **गवाह पी.डब्ल्यू–4 ओमकलां** अपने बयानों में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हुई है तथा घटना की लेशमात्र भी ताईद नहीं करती है।

16– **गवाह पी.डब्ल्यू–5 धर्मवीर** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 22.11.2019 को सुबह आठ साढे आठ बजे की बात है। उसके चचेरे भाई सुमेर सिंह के मकान के पीछे बनी पुश्ती को रवि, कृष्ण और भरपाई देवी फावड़ा वगैरह से तोड़ रहे थे। इस बात को लेकर सुमेर सिंह और रवि, कृष्ण और भरपाई की आपसी कहासुनी हो गई थी। वह उक्त घटना को अपने मकान की छत पर खड़ा होकर देख रहा था। पुलिस मौके पर आई थी।

17– दौराने जिरह गवाह ने मुख्यतः यह कथन किया है कि घटना पुरानी होने से उसे यह याद नहीं है उसने अपनी पुलिस बयानों में घटना को देखने के बारे में कहा या नहीं, सुमेर और कृष्ण के घर के बीच 500 मीटर की दूरी है, उसने घटना को देखा नहीं।

18– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श पी–4ए लगायत 6 में दर्शित स्थान को गवाह पी.डब्ल्यू–3 ने अपने मकानों के पीछे वाले हिस्से की भूमि होना बताया है, किंतु गवाह पी.डब्ल्यू–2 उसी स्थल के संबंध में अपनी जिरह में यह कथन किया है कि उक्त जगह के बाबत न्यायालय में सिविल दावा लंबित है, साथ ही प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने दौराने जिरह यह कथन किया है कि उसने जमीन के बारे में किसी पटवारी के बयान नहीं लिए और ना ही कोई जमाबंदी शामिल पत्रावली की। पत्रावली पर वादग्रस्त स्थल के स्वामित्व संबंधी कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रश्नगत भूमि परिवादी पक्ष की वैध रूप से कब्जेशुदा भूमि है। प्रकरण के परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में घटना दिनांक 29.11.2019 को प्रातः 8 बजे की होना कथित किया है, किंतु न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध अपने बयान गवाह पी.डब्लयू–2 दौराने मुख्य परीक्षण यह कथन किया है कि घटना दिनांक 22.01.2021 को समय करीब सुबह 08.30 बजे की है, जबकि जिरह में उक्त गवाह ने यह कथन किया कि थाने में उसने दो बार रिपोर्ट दी थी तथा एक रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 को दी थी साथ ही यह कथन किया कि 22.11.2019 के बाद दीवार व मकान तोड़ने की कोई घटना नहीं हुई है। इस प्रकार प्रकरण का परिवादी स्वयं अपने कथनों में विरोधाभास प्रकट कर रहा है। परिवादी/गवाह पी.डब्ल्यू–2 ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में मार्क ई से एफ में यह कथन किया है कि अभियुक्तगण ने मकानों को जबरन तोड़कर गिरा देने की धमकी दी थी, किंतु अपने बयानों में यह कथन किया है कि उन्होंने मकानों के उपर चढ़कर छत को गिरा दिया तथा मौके पर पुलिस को मकान की दीवार व छत तोड़ना बता दिया था, किंतु नक्शामौका प्रदर्श पी–3 में इस तथ्य का कोई अंकन नहीं है कि मौके पर कोई छत टूटी हो। हस्तगत प्रकरण में नक्शामौका का हालातमौका मुर्तिब नहीं किया गया है, जिससे कि नक्शामौका की संपूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिवादी ने अपने पुलिस बयानों में यह तथ्य दर्ज करवाया है कि उनके मकानों के पीछे उन्होंने 4 फुट की पुश्ती बनवाई थी जिसे कृष्ण कुमार, भरपाई देवी एवं रवि कुमार ने जबरन तोड़ दिया। यहां यह स्पष्ट है कि स्वयं परिवादी ही प्रकरण में विरोधाभासी कथन कर रहा है तथा उसके न्यायालय में बयानों में कथित छत तोड़ने की बात प्रमाणित नहीं होती है। गवाह पी.डब्ल्यू–3 ने अपनी जिरह में यह कथित किया है कि फोटो में दिखाई गई जगह सार्वजनिक गौण है तथा साथ ही यह कथित किया कि घटना वाले दिन वह बुहाना में थी उसे फोन करके बुलाया गया। इस प्रकार कथनों से यह स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों के मध्य प्रश्नगत भूमि के संबंध में एक वाद सिविल न्यायालय में लंबित है तथा प्रश्नगत भूमि पर वैध कब्जे व स्वामित्व का बिंदु ही स्थापित नहीं हो सका है। मौके पर कोई तोड़फोड़ की गई हो इस संबंध में भी पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। स्वयं परिवादी ने प्रकरण में विरोधाभासी कथन किए हैं जिससे अभियुक्त पक्ष द्वारा परिवादी पक्ष को धमकियां दिया

जाना या उनकी भूमि में आपराधिक अतिचार कर रिष्टि किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। इस न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष उक्त विचारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे जाकर सिद्ध करने में असफल रहा है।

आदेश

19– फलतः **अभियुक्तगण** 01. कृष्ण कुमार पुत्र हरदेवाराम, 02. रवि कुमार पुत्र कृष्ण कुमार, 03. भरपाई देवी पत्नी कृष्ण कुमार, निवासीगण हसांस, पीएस बुहाना, जिला झुन्झुनू को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 448, 427, 504/34 भारतीय दंड संहिता से संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

(राहुल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
जिला झुन्झुनू

20– निर्णय व आदेश आज दिनांक **09.07.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.10 11:55:27 IST